न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–01,एटा।

जमानत प्रार्थना पत्र संः **3290** सन् **2022**

जितेन्द्र सिंह चौहान उर्फ जे0पी0 पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम बेरनी थाना जलेसर जिला एटा। **.....प्रार्थी/अभियुक्त.**

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य.

.....आपत्तिकर्ता.

धाराः 406,420,411 भा0दं0सं0
थानाः कोतवाली नगर,जिलाः एटा.
अ0सं.: 275 सन् 2022

01.11.2022

1. अभियुक्त जितेन्द्र सिंह चौहान उर्फ जे0पी0 पुत्र महावीर सिंह निवासी ग्राम बेरनी थाना कोतवाली नगर जिला एटा ओर से मु0अ0सं0–275/2022 धाराः 406,420,411 भा0दं0सं0 थानाः जलेसर, जिलाः एटा के अंतर्गत जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त के पैरोकार सुग्रीव सिंह की ओर से शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा कोई अन्य प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय में न तो विचाराधीन है, न ही खारिज हुआ है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी जय पूर्णागिरी अन्न भण्डार एटा में ऑयल मिल मण्डी 4 गुजरात तक अपनी उपज भेजता, पूरा जाखिम विजय रोडवेज एण्ड कमीशन एजेन्सी पर रहता है। दिनांक 30.04.2022 को वादी ने 310 कुन्तल 65 किग्राम सरसों भेजी। जिसका पूर्ण विवरण विजय रोडवेज के परिचय पत्र पर अंकित है, जो 04 दिवस में यथास्थान पहुंचनी थी, किन्तु वाहन सं0–यू.पी. ए.टी.4362 जिसके स्वामी नवीन पाल हैं, जो प्रश्नगत माल की बिल्टी निर्गत कर वादी को देकर उक्त माल वायदे के साथ लेकर गया, लेकिन नवीन पाल ने उक्त सामान रास्ते से ही गायब कर, कहीं बेच दिया। जानकारी करने पर संतोषजनक जवाव नहीं दिया गया।

3. अभियुक्त की ओर से कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मुकदमा की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। दौरान विवेचना उसका नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त को दिनांक 1.06.2022 को थाना पछाया गॉव इटावा पुलिस द्वारा घर से पकड़कर झूठी बरामदगी दिखाकर चालान कर दिया गया था तथा उससे तथाकथित मुकदमा से सम्बन्धित कोई भी बरामदगी नहीं हुई है तथा उसकी मुकदमा अ0सं0–22/2022 धारा 420,467,468,411,471 भा0दं0सं0 थाना पछांया इटावा में जमानत स्वीकार हो चुकी है। उक्त दोनों अपराध एक ही घटना से सम्बन्धित हैं। वह उक्त मुकदमा

में दिनांक 03.10.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अपराध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। उसने उक्त अपराध से सम्बन्धित कोई कृत्य नहीं किया है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अभियोजन की ओर से वादी के निजी अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है तथा उसके विरूद्ध घटना के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अभियुक्त ने अपने सह अभियुक्त की मदद से उक्त घटना को अन्जाम दिया है। उसके कब्जे से उक्त घटना से सम्बन्धित माल की बरामदगी हुई थी। अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर उपरोक्त माल सरसों को धोखाधड़ी करके बेचा गया है और उससे प्राप्त रूपया अभियुक्त व सह अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुआ है। अभियुक्त को यदि जमानत प्रदान की जाती है तो वह जमानत की शर्तो का उल्लंघन करेगा तथा गवाहान को अपने विरूद्ध गवाही न देने के लिए विवश करेगा। अभियुक्त द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं वादी के प्राइवेट अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा का 310 कुन्तल 65 किलो सरसों अपने उक्त वाहन में ले जाया गया व उक्त सरसों को अमानत में खयानत करते हुए यथा स्थान पर न पहुंचाकर उक्त सरसों को दूसरे को बेच दिया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विरूद्ध जनपद इटावा में मुकदमा अपराध सं0—22/2022 धारा 420,467,468,471,411 भा0दं0सं0 थाना पछांया गांव जिला इटावा के अंतर्गत जमानत निरस्त की जा चुकी है। अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत मामले की व अ0सं0—22/2022 की घटना को स्वयं अपने जमानत प्रार्थनापत्र में एक ही बताया गया है। वादी की ओर से दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध संख्या—275/2022 तथा जनपद इटावा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या—22/2022 की घटना एक ही है तथा वादी की 310 कुन्तल 65 किलोग्राम सरसों को बेईमानी व धोखाधड़ी करके व अमानत में ख्यानत करके किसी अन्य को बिक्रय करने से सम्बन्धित है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति एवं अजमानती है। अभियुक्त द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। संबंधित मामले में अभियुक्त की जमानत सत्र न्यायालय से निरस्त की जा चुकी है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं गुण—दोष पर कोई

मत व्यक्त किये बिना अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आ दे श</u>

आवेदक/अभियुक्त जितेन्द्र सिंह चौहान उर्फ जे0पी0 की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0–3431 सन् 2022 निरस्त किया जाता है।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–01, एटा।
01.11.2022

1

Digitally signed by NARENDRA KUMAR SINGH
Date: 2018.01.29 05:17:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court